# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
| --- | --- | --- |
| 168 / 2025 | 26.03.2025 | 02.05.2025 |

1. श्री भैरूलाल पिता छोगा कलाल, निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
2. मिश्रीलाल पिता छोगा कलाल, निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
3. रतनलाल पिता छोगा कलाल, निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. शंकरलाल पिता बालू जाट निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
2. म्हादेव पिता लक्ष्मण जाट, निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
3. गोपाल पिता श्रीकिशन ब्राहम्ण निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
4. सत्तु पिता श्रीकिशन ब्राहम्ण, निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
5. सांवरा पुत्र शंकर ब्राहम्ण, निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
6. भगवती लाल पुत्र बालू जाट निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
7. राजू पुत्र गणेश जाट, निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
8. राहुल पुत्र गणेश जाट, निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
9. गोपाल पुत्र भैरू जाट, निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
10. रामलाल पुत्र भैरू जाट, निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
11. नन्दा पुत्र प्रभु माली, निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
12. सांवत पुत्र नन्दा दरोगा, निवासी महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज)।

—— विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री प्रकाश देवाणी उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 01 से लगाकर 12 उपस्थित नहीं

**—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :—**

## —:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ग्राम महुआकलां, पटवार हल्का महुआकलां भू अ. नि. क्षेत्र महुआकलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या नया 209 में खसरा नम्बर 156 रकबा 1.0748 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1955 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1956 रकबा 2.3014 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1957 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1960 रकबा 0.6196 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1961 रकबा 0.8346 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1962 रकबा 0.5817 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1963 रकबा 0.9863 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1964 रकबा 0.8346 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2041 रकबा 0.4679 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2047 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2048 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2049 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2855 / 2041 रकबा 0. 1138 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2856 / 2049 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, कुल किता 15 कुल रकबा 8.2194 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी ) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम महुआकलां, पटवार हल्का महुआकलां भू अ. नि. क्षेत्र महुआकलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या नया 209 में खसरा नम्बर 156 रकबा 1.0748 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1955 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1956 रकबा 2.3014 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1957 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1960 रकबा 0.6196 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1961 रकबा 0.8346 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1962 रकबा 0.5817 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1963 रकबा 0.9863 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1964 रकबा 0.8346 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2041 रकबा 0.4679 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2047 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2048 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2049 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2855/2041 रकबा 0. 1138 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2856/2049 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, कुल किता 15 कुल रकबा 8.2194 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 02-05-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा